तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/कोलो/1456/2002/बीकानेर** **केसाराम बनाम भंवरलाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य

उपस्थित

श्री जयचन्द, अभिभाषक प्रार्थीगण।

श्री राजेश बेद, अभिभाषक अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 16–1–2024

यह निगरानी अन्तर्गत नियम 23(2) राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय कृषि भूमि आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23(2) के अन्तर्गत राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–2–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– आलोच्य आदेशानुसार अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया है।

3– प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय में निगरानीकर्ता ने आवंटन हेतु प्रार्थना–पत्र पेश कर रखा था तथा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर द्वारा मिसल संख्या 61/2000 उनवान बृजलाल बनाम भंवरलाल में मुरब्बा नंबर 229/5 किला नंबर 8, 13, 18, 23, 24 तादादी 5 बीघा विवादित के बदले अन्य रकबा ट्रायल कोर्ट को रेस्पोडेंट संख्या 1 के हक में विशेष आवंटन हेतु दिनांक 20–7–2000 को अपने निर्णय में निर्देश दिया था, जिसके प्रतिकूल ट्रायल कोर्ट ने मुरब्बा नंबर 229/6 के किला नंबर 2, 3, 8, 9, 12 ता 14, 17 ता 19, 22 ता 24 व 20, 21 की 14 बीघा 16 बिस्वा भूमि आवंटन की, जो निर्देश के विपरीत 5 बीघा से अधिक थी। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किये बिना अपने निर्णय के अंतिम पैरा में लिखा है कि केवल मात्र धारा 15 एएए के अन्तर्गत दावा कर देने से यह सिद्ध नहीं हो जाता है कि यह जमीन अपीलांट की खातेदारी जमीन है। अतः अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर की पत्रावली संख्या 107/2000 निर्णय दिनांक

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/कोलो/1456/2002/बीकानेर** **केसाराम बनाम भंवरलाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	4–2–2000 एवं उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर (उत्तर) की पत्रावली संख्या 229/2000 निर्णय दिनांक 6–9–2000 उनवान भंवरलाल बनाम सरकार विशेष आवंटन तलब फरमाई जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को निरस्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को प्रार्थी के पक्ष में विशेष आवंटन करने के आदेश प्रदान करे। 4– अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस में तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एंव रिकार्ड के अनुरूप है। उनका कथन है कि अप्रार्थी को आवंटन की गई यह जमीन न तो प्रार्थीगण की पैतृक जमीन है और न ही इस जमीन का पहले कभी प्रार्थीगण को आवंटन हुआ है। प्रार्थीगण को नियमानुसार जमीन आवंटन होने के बाद में शेष जो जमीन बची थी, वह जमीन राजस्व रिकार्ड में आराजीराज हो गई थी और वह अप्रार्थीगण को जैर अपील आदेश के द्वारा आवंटित हो गई है। प्रार्थीगण ने इस जमीन के बाबत् ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया है, जिससे यह जमीन उनके पूर्वजों की होना प्रकट होती हो। ये प्रार्थीगण जितनी जमीन के लिए सक्षम थे, उतनी जमीन इन्हें दे दी गई। अतः यह निगरानी पोषणीय नहीं होने से खारिज की जावे। 5– हमने अभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी एवं मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया। 6– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के रिमाण्ड आदेश दिनांक 20–7–2000 की पालना में अप्रार्थी भंवरलाल से विकल्प लेकर तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर चक 2 पीएलएम के मुरब्बा नंबर 229/6 के किला नंबर 2,3/2.00 बीघा कमाण्ड, 8,9/2बीघा अनकमाण्ड, 12 ता 14/3 बीघा अनकमाण्ड, 17 ता 19/3 बीघा अनकमाण्ड, 20,21/1.16 अनकमाण्ड, 22 ता 24/3 बीघा अनकमाण्ड कुल 14.16 बीघा अनकमाण्ड विशेष आवंटन की गई । उक्त भूमि पर किसी का कब्जा नहीं था, इसलिए अप्रार्थी को खाली भूमि का आवंटन किया गया है । उक्त आदेश के विरूद्ध पुनः प्रार्थी द्वारा अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर उन्होंने निर्णय दिनांक 4–2–2002 प्रार्थी/अपीलाण्ट द्वारा अपने पक्ष में किसी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/कोलो/1456/2002/बीकानेर** **केसाराम बनाम भंवरलाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रकार का साक्ष्य पेश नहीं किए जाने से खातेदारी सिद्ध नहीं मानकर अपील खारिज की है । विचारण न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय द्वारा दोनों द्वारा सम्पूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों एवं रिपोर्टो के आधार पर भूमि रिक्त मानकर विशेष आवंटन को उचित ठहराया है। दोंनो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती निष्कर्ष हैं। जिनमें निगरानी के स्तर पर हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं है । अतः निगरानी सारहीन होने से निरस्त योग्य है । 7— उक्त विवेचन के आधार पर यह निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है । निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो । (डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर) सदस्य	